भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2086

(दिनांक 20.12.2022 को उत्तर देने के लिए)

पत्रकार कल्याण योजना

2086. श्रीमती भावना गवली (पाटील):

श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण योजना शुरू की गई थी और यदि हां, तो उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश में पत्रकारों के हितों और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शुरू की गई योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या पत्रकारों को पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) का वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) कोविड महामारी के दौरान इलाज के लिए जेडब्ल्यूएस के तहत निजी अस्पतालों में लाखों रुपये खर्च करने वाले कई पत्रकारों के आवेदन आज भी लंबित होने के क्या कारण हैं;

(ङ) जेडब्ल्यूएस के तहत पत्रकारों के कोविड महामारी के खर्च के आवेदनों को मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण स्कीम (जेडब्ल्यूएस) के तहत मौजूदा जेडब्ल्यूएस दिशानिर्देशों के अनुसार पूरे देश में पत्रकारों या उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा प्रत्यायित पत्रकारों को, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित सीजीएचएस सुविधा, उन्हें और उनके परिवार के लिए प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ): विगत 5 वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, सरकार ने पत्रकार कल्याण स्कीम (जेडब्लयूएस) के तहत 290 पत्रकारों या पत्रकारों के परिवारों को 13.12 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की है।

(ङ) और (च): प्रत्यायित और गैर प्रत्यायित पत्रकारों से वित्तीय सहायता के लिए पत्रकार कल्याण स्कीम के तहत पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) को प्राप्त आवेदनों पर जेडब्ल्यूएस समिति द्वारा दिनांक 05.03.2019 के जेडब्ल्यूएस दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जा रहा है।

सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया और मौजूदा जेडब्ल्यूएस दिशानिर्देशों के तहत प्राप्त और संसाधित किए गए आवेदनों के आधार पर वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान पत्रकारों के 139 परिवारों की वित्तीय सहायता के लिए प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की दर से कुल 6.95 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए गए।

****